"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 जनवरी 2017—— पौष 28, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2017

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-31/2002/1/5 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 9 में, परंतुक में, शब्द "दो हजार पांच सौ रुपये का" के स्थान पर, शब्द "उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को समय-समय पर यथा अनुज्ञेय" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

No. F 10-31/2002/1/5. — In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 243-K of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the State Election Commissioner (Conditions of Service) Rules, 2002, namely :-

AMENDMENT

In the said Rules,-

1. In rule 9, in proviso, for the words "of Rupees Two thousand five hundred", the words "as admissible to the High Court Judges, from time to time." shall be substituted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from the 01st April, 2009.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.